राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य

बनाम

लाडूलाल माली

5 फरवरी, 1996

[न्यायमूर्ति गण के. रामास्वामी और जी. बी. पटनायक]

सेवा समाप्ति – अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि – आदेश को अवैध घोषित करने के लिए मुकदमा – मुकदमा डिक्री – बहाली के लिए दायर निष्पादन याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि दायर मुकदमा केवल घोषणा के लिए था – पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय ने पिछले वेतन के भुगतान का निर्देश दिया – अपील पर माना गया, डिक्री में मौद्रिक लाभ के परिणामी भुगतान के बिना केवल एक घोषणात्मक राहत शामिल थी – इसलिए राहत देने से इनकार करने में कार्यकारी न्यायालय सही था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : सिविल अपील सं. 3614 सन् 1996

राजस्थान उच्च न्यायालय के एस. बी. सी. आर. पी. सं. 604 सन् 1993 के निर्णय और आदेश दिनांकित 18.03.1994 से

अपीलार्थियों की ओर से सुशील कु० जैन और विपिन गोगिया

प्रतिवादी की ओर से पी. गौर

<u>न्यायालय द्वरा निम्नलिखित आदेश दिया गया था:</u>

<u>आदेश</u>

अनुमति प्रदान की गई।

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। यह अपील पुनरीक्षण याचिका संख्या 604 सन् 1993 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 18 मार्च, 1994 से विशेष अनुमति द्वारा की गई है। अपीलकर्ताओं ने 7 दिसंबर 1983 को प्रतिवादी की सेवा बर्खास्त कर दी थी। अपील पर, इसकी पुष्टि की गई थी। जब एक मुकदमा दायर किया गया, तो जिला मुंसिफ ने 12 नवंबर, 1990 की डिक्री द्वारा घोषित किया कि बर्खास्तगी का आदेश और साथ ही अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अवैध, शून्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ था। प्रतिवादी ने बहाली के लिए निष्पादन याचिका संख्या 2/91 दायर की थी। निष्पादन न्यायालय ने 4 दिसंबर, 1992 को निष्पादन आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी के खिलाफ वादी का मुकदमा घोषणा के लिए है। इसलिए, वह बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं है। दायर पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय ने *राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य. बनाम सोहन लाल [एस.बी.सी.आर. संख्या 623/93]* में उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 26 अक्टूबर, 1993 पर विश्वास करते हुए निष्पादन न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस प्रकार यह अपील विशेष अनुमति द्वारा दायर की गयी।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि डिक्री में बकाया वेतन का भुगतान शामिल नहीं है। केवल घोषणात्मक अनुतोष दिया गया है। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौड़ ने तर्क दिया कि, जब 16 दिसंबर 1994 को इस न्यायालय द्वारा बैच का निपटारा किया गया था, तो इस न्यायालय ने बकाया वेतन का 40% भुगतान करने का निर्देश दिया था। तद्नुसार प्रतिवादी उसी राहत

का अधिकारी है। इस न्यायालय के आदेश से हमें पता चलता है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मामलों में, परिणामी मौद्रिक राहत देने की घोषणा की गई थी।

जिस बैच में इस न्यायालय ने मामलों का निपटारा किया था, जाहिर तौर पर उन मामलों से संबंधित बकाया वेतन से राहत मिली थी। परिणामतः, इस न्यायालय ने बकाया वेतन के भुगतान को 40% की सीमा तक सीमित कर दिया। यह स्थापित विधि है कि, निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डिक्री में मौद्रिक लाभ के किसी भी परिणामी भुगतान के बिना केवल एक घोषणात्मक अनुतोष शामिल था, राहत देने से इन्कार करने में निष्पादन न्यायालय सही था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने पिछले वेतन के भुगतान का निर्देश देने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की थी।

तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

ashutosh II